राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय,राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–सं.3(4)(2)च.श्रे.कर्म. / विविध / अभि / 2012 / 2551-62 दिनांक 27-2-17

– आदेश –

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण जिला स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में कार्य करने के लिये सेवानिवृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए.II / 94 दिनांक 10.2.2016 में वर्णित शर्तो के अनुसार निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड पे से ए.सी.पी. नियमों के तहत देय अधिकतम तीन उच्चतर ग्रेड पे या सेवा निवृति के समय की ग्रेड पे की राशि के दोनों में से जो कम हो जो कि इस शर्त के अध्यधीन होगी कि अन्तिम मूल वेतन में से पेंशन की राशि को कम किये जाने पर शेष रही राशि से अधिक नहीं हो, के समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालयों में कार्य करने हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रुप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्र.सं.	आवेदक का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत से पूर्व विभाग का नाम	स.नि.अ.कार्यालय जिसमें नियुक्ति की जानी है।	विशेष विवरण
1.	श्री शंकर लाल	01.3.1955	राज.राज्य अभिलेखागार अलवर	अलवर	प्रथम बार
2.	श्री जगदीश चन्द्र	15.10.55	वाणिज्यिक कर विभाग जिला जोधपुर	जोधपुर	प्रथम बार
3.	श्री शहजाद खॉ	05.03.1954	सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला धौलपुर	धौलपुर	प्रथम बार
4.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	15.9.1956	सनिअ प्रथम जयपुर शहर	जयपुर शहर	प्रथम बार
5.	श्री शिवनाथ सिंह	15.9.1956	सनिअ, सिरोही	सिरोही	प्रथम बार

1. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी.ए-II/94 दिनांक 10.02.2016 के क्रम में नियुक्ति आदेश सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगें।
2. नियुक्त कर्मचारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेगें।
3. चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेगें।
4. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिये निर्देशित कर सकता है।
5. पुनः नियुक्त कर्मचारियों की सेवा एक वर्ष तक अथवा नियमित कार्मिकों के उपलब्ध होने तक इनमें से जो भी पहले हो की अवधि तक स्वीकृति प्रदान की जाती है(एक वर्ष की गणना सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन के नियुक्ति आदेश जारी होने से की जावेगी)। संविदा पुनर्नियुक्ति सेवायें किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
6. इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014–00–114–(02)01 संवेतन (आयोजना भिन्न) से प्रभार्य होगा।

..... 2

यह आदेश प्रशासनिक विभाग गृह(ग्रुप–10)विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी.संख्या 120782/गृह–10/17 दिनांक 15.2.2017 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरुप कार्यग्रहण करवायें।

(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अनुभागाधिकारी, गृह(ग्रुप–10)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. उप निदेशक अभियोजन,अजमेर,भरतपुर,बीकानेर,जयपुर प्रथम/द्वितीय,जोधपुर एवं उदयपुर।
4. सहायक निदेशक अभियोजन————————
5. समबन्धित कार्मिक द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन ।
6. लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली

23/2/17

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान,जयपुर